न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
053/2018 (GCMS 2018/00214)	**06.09.2018**	**17.02.2021**

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

मयुर कुमार जैन पुत्र प्रकाशचन्द्र (विकेता) मो.न. 9649184285 मैसर्स सुनील कुमार मयुर कुमार जैन लाल–बाई फूल–बाई चौक, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी सुनारो का मौहल्ला, मैन रोड चैंची तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ (राज.)

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत दिनांक 13.10.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इनको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चितौड़गढ़ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते है। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.10.2017 को समय लगभग 03.10 पीएम. पर मैसर्स सुनील कुमार मयुर कुमार जैन लाल–बाई फुल–बाई चौक, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) पर पहुंचें। वहां पर मयुर कुमार जैन पुत्र प्रकाशचन्द्र (विकेता/मालिक) उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक फर्म की हैसियत से खाद्य पदार्थ घी (सेठ जी गोल्ड ब्राण्ड) व अन्य किराणा सामान आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य लाईसेन्स मांगने पर प्रस्तुत किया गया। मौके पर गवाहान निखिल व महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त फर्म पर घी (सेठ जी गोल्ड ब्राण्ड) बेच नम्बर **H** के कुल 28 सील्ड पेकेट (प्रत्येक सील्ड पेकेट में 500–500 एमएल घी (सेठ जी गोल्ड ब्राण्ड) विक्रय हेतु रखे पाये गये। उक्त में से 1 सील्ड पेकेट घी (सेठ जी गोल्ड ब्राण्ड) को ध्यान से देखने पर उस पर घी (सेठ जी गोल्ड ब्राण्ड), **Net Weight 500 ML., Batch No- H, M.R.P. - 260/-, Pkg- Date March 2017 Best before 09 MONTHS FROM THE DATE OF PACKING, Mfg. & Pkgd. By - Shree Shyam Food Products Tadije By Pass Beawar Road Ajmer** आदि अंकित पाया गया। विकेता फर्म द्वारा उक्त घी (सेठ जी गोल्ड ब्राण्ड) का मौके पर खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया गया एवं विक्रेता ने बताया कि उनके पास उक्त घी (सेठ जी गोल्ड ब्राण्ड) का खरीद बिल नहीं है, उक्त घी (सेठ जी गोल्ड ब्राण्ड) में मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जाँच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के 500–500 एमएल के 4 सील्ड पेकेट वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 460/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णायन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागो मे (प्रत्येक भाग मे 1 सील्ड पेकेट) बॉट कर अलग–अलग रखा। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-887** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पैंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हरताक्षर कर चारों नमूना गागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चोथा भाग) को एक्रीएटेड लैब मे जॉच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मालिक एवं गवाहन को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपडी किया गया, उसका मोनोगाम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म न. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 5 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्स एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स सुनील कुमार मयुर कुमार जैन बेगूं (राज.) द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रति व स्वयं के पहचान पत्र की प्रति व नमूने का विकय बिल प्रस्तुत किया जो कि संलग्न है। मैसर्स सुनील कुमार मयूर कुमार जैन बेगूं (राज.) को रजिस्टर्ड पत्रांक 5548 दिनांक 12.12.2017 द्वारा फर्म के संविधान व उक्त खाद्य नमूने के खरीद बिल संबंधि सूचना चाही गयी थी जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/5014 दिनांक 15.11.2017 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि अनसेफ होना पाया गया था। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। मैसर्स सुनील कुमार मयूर कुमार जैन बेगूं (राज.) को रजिस्टर्ड डाक से जांच रिपोर्ट की एक प्रति नियमानुसार सीएमएचओं चित्तौड़गढ़ के द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसकी मूल प्रति संलग्न है। मैसर्स सुनील कुमार मयूर कुमार जैन बेगूं (राज.) द्वारा एफएसएसए एक्ट की धारा 46(4) के तहत उक्त खाद्य नमूने की पुनः जाँच हेतु नियमानुसार सीएमएचओं चित्तौड़गढ़ को आवेदन किया गया जिसके आधार पर नियमानुसार सीएमएचओं चित्तौड़गढ ने उक्त खाद्य नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में पुनः जॉच कराई गई रेफरल प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट अनुसार उक्त नमूना सबस्टैन्डर्ड होना पाया गया रेफरल प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट संलग्न है। मैसर्स सुनील कुमार मयूर कुमार जैन बेगूं (राज.) को डाक से रेफरल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट एक प्रति नियमानुसार सीएमएचओं चित्तौड़गढ़ ले द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसकी मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज [illegible] 5014 दिनांक 15.11.2017

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/3763 दिनांक 05.09.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने घी (सेठ जी गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अंत में आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना कि गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान को प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 13.12.2018 को अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 11.04.2019 को विपक्षी की और से जवाब परिवाद पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अपने जवाब परिवाद में बताया की निवेदन है कि मेरी फर्म से घी (सेठ जी गोल्ड ब्राण्ड) का नमूना लिया गया था जो कि सबस्टैन्डर्ड होना पाया गया है, मैने उक्त नूमूना सीलपैक अवस्था में खरीद कर सील पैक ही बेचा है एवं मेरी फर्म खाद्य लाईसेन्स शुदा है, मेरी फर्म का पहले नमूना फेल नहीं पाया गया है एवं किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई है एवं भविष्य में मेरे द्वारा इस तरह का माल नहीं बेचा जावेगा एवं भविष्य में मेरे द्वारा इस प्रकार की गलती नहीं की जावेगी, अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में मुझे प्रार्थी माफ करवावे।

दिनांक 17.02.2021 को विपक्षी स्वयं हाजिर आये। अधिवक्ता विपक्षी हाजिर आये। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। अपनी बहस पत्रावली में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि उक्त नूमूना सीलपैक अवस्था में खरीद कर सील पैक ही बेचा है एवं मेरी फर्म खाद्य लाईसेन्स शुदा है, मेरी फर्म का पहले नमूना फेल नहीं पाया गया है एवं किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई है,अतः परिवाद में कार्यवाही समाप्त की जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात को गहनता पूर्वक परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने की सूचना लिखित प्रारूप में फार्म नंबर **V-A** में विपक्षी को दी गई है जिसकी पुष्टि फार्म नंबर **V-A** से होती है। उस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। नमूना खरीद बिल/कैश मेमों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर विक्रेता के रूप में अंकित हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी से क्रय किया गया है। फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त फर्द रिपोर्ट मौके पर दिनांक 13.10.2017 को बनाई गई हैं उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित हैं। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला से रिपोर्ट संख्या **LS 589/Act/2017/620 Dated 08-11-2017** प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को प्रेषित की गई है जिसकी पुष्ठि पत्र से होती है। विपक्षी द्वारा अधिनियम की धारा 46(4) के तहत उक्त खाद्य नमूने की पुनः जाँच हेतु नियमानुसार सीएमएचओं चित्तौड़गढ़ को आवेदन किया गया जिसके आधार पर नियमानुसार सीएमएचओं चित्तौड़गढ ने उक्त खाद्य नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में पुनः जॉच कराई गई रेफरल प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट अनुसार उक्त नमूना सबस्टैन्डर्ड होना पाया गया रेफरल प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट संलग्न है। **REFERAL FOOD LABORATORY CSIR CFTRI Mysore** की पत्र क्रमांक **FT/AQCL/FSSA(23F)/2018 Date 02-02-2018** जो रिपोर्ट संख्या **23F/FSSA/2018** जो कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रेषित की गई शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कराया गया है एवं उक्त समस्त दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध होकर रिकार्ड है, ऐसी स्थिति विपक्षीगण के प्रस्तुत जवाब परिवाद के संबंध में कोई भी ठोस दस्तावेज विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतुस्त दस्तावेजी साक्ष्य से हम संतुष्ट है, एवं प्रकरण की किसी प्रकार की अतिरिक्त शहादत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसके साथ ही हमने **REFERAL FOOD LABORATORY CSIR CFTRI Mysore** की रिपोर्ट संख्या **23F/FSSA/2018** का अवलोकन किया। निदेशक, **REFERAL FOOD LABORATORY** की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था, जो कि एफएसएस एक्ट 2006 के अनुसार सब्स्टेण्डर्ड होना होना पाया गया। हमने निदेशक, **REFERAL FOOD LABORATORY** की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। निदेशक, **REFERAL FOOD LABORATORY** रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :-

Certificate No: 23F/FSSA/2018

Certified that the sample, bearing number CODE AM-887 purporting to be a sample of GHEE was received on 08.01.2018 with memorandum No. FSSA/2017/5831 dated 28.12.2017 from THE DESIGNATED OFFICER(FOOD SAFETY), CHIEF MEDICAL AND HEALTH OFFICER, DISTRICT CHITTORGARH, RAJASTHAN - 312 001 for analysis

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: Intact and unbroken.

Analysis Report:

(i) Sample Description: Packed in a carton box.

(ii) Physical Appearance: Cream colour, thick liquid clear on melting. Free from suspended matter and separated water.

(iii) Label: "Seth Ji Gold Ghee" Mfd b[illegible]e Shyam Food Products. Tabije Bypass Beawar Road, Ajmer: Batch No.: H; [illegible] da[illegible] Aug 17; Expiry date: Best before nine

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

months from the date of packaging: Nutritional Information: Given Veg Symbol: Given; Net wt.:500ml.; FSSAI License No.: 12216009000338

Opinion:

And I am of the opinion that the sample is 'Substandard' as defined under Section 3(1) (zx) of Food Safety and Standards Act, 2006 as it does not conform to the standards laid down for Ghee under the provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 thereof, in that:

a) RM value falls below the minimum standard limit and

b) Test for rancidity is positive.

निदेशक, **REFERAL FOOD LABORATORY** की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (सेठ जी गोल्ड ब्राण्ड) का नमूना जो कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **AM-887** लिया गया, उक्त पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सब–स्टेन्डर्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। यह सही है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ विक्रय किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सब स्टेन्डर्ड घी (सेठ जी गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं विपक्षी मयूर कुमार जैन पुत्र प्रकाशचन्द्र (विकेता) मैसर्स सुनील कुमार मयुर कुमार जैन लाल–बाई फूल–बाई चौक, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी सुनारो का मौहल्ला, मैन रोड चैंची तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:58 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त मयूर कुमार जैन पुत्र प्रकाशचन्द्र (विकेता) मैसर्स सुनील कुमार मयुर कुमार जैन लाल–बाई फूल–बाई चौक, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी सुनारो का मौहल्ला, मैन रोड चैंची तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ (राज.) को 50,000/– रूपये अक्षरे पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **17.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:28:58 IST
Reason: SelfAttested